A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या– 564 /चार–2009–38(बजट)/2007
लखनऊः दिनांकः 16 फरवरी,2009

15

अधिसूचना/प्रकीर्ण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष "उत्तर प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता" विषयक निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करते हैं। यह मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी होने की तिथि से प्रभावी होगें।

1- **संक्षिप्त नाम**– यह मार्गदर्शक सिद्धान्त **"उत्तर प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता 2009"** कहे जायेगें।

2- **उद्देश्य**– इस मार्गदर्शी सिद्धान्त का उद्देश्य कला एवं कलाकारों के सर्वेक्षण अभिलेखीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 60 वर्ष की आयु से अधिक के कलाकारों, जो स्वतंत्र रूप से कार्यक्रमों को करने एवं आय अर्जित करने के लिये सक्षम नहीं हैं, को गम्भीर बीमारी के चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उनके द्वारा किये गये व्यय के सापेक्ष आर्थिक सहायता देना है। इसके अतिरिक्त किसी कलाकार की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को अन्तिम संस्कार एवं तात्कालिक रूप से आर्थिक सहायता देना है।

3- **आर्थिक सहायता की धनराशि**

(क) गम्भीर बीमारी की चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की दशा में कलाकार द्वारा किये गये व्यय के सापेक्ष वास्तविक बिल/बाउचर मूल रूप में उपलब्ध कराने की स्थिति में अधिकतम रू0 1.00लाख की सहायता दी जायेगी। यह सहायता कलाकारों को अपने जीवन काल में केवल एक बार वास्तविक बिल/बाउचर सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करने के पश्चात् अनुमन्य होगी।

(ख) कलाकार की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को उनके अनुरोध पर कलाकार के अन्तिम संस्कार एवं तात्कालिक आवश्यकताओं हेतु रू0 5,000/– की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से दी जायेगी।

4- **पात्रता**– इस मार्गदर्शी सिद्धान्त के अधीन आर्थिक सहायता निम्नलिखित कलाकारों को दी जा सकती है।

1. जो कलाकार संस्कृति निदेशालय द्वारा संचालित "वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना" के अन्तर्गत सहायता पा रहे हैं।
2. उत्तर प्रदेश के वे कलाकार जो संस्कृति विभाग,भारत सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन पा रहे है।

5- **वित्तीय सहायता के लिये आवेदन**–

इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा हेतु सहायता के लिये संलग्न आवेदन पत्र के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में सूचना दी जायेगी। प्राप्त आवेदन–पत्रों पर निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये परीक्षण एवं संस्तुति के आधार पर निदेशक,संस्कृति निदेशालय द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की जायेगीः–

1. निदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ	अध्यक्ष
2. कुलपति,भातखण्डे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3. सचिव, उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी,	सदस्य
4. उपनिदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0	सदस्य/सचिव

6. आर्थिक सहायता की समाप्ति

(1) आवेदक द्वारा कोई गलत सूचना देने पर दी गयी आर्थिक सहायता की वसूली भू-राजस्व बकाये की तरह नियमानुसार की जायेगी।

(2) प्रत्येक मामले में निदेशक,संस्कृति निदेशालय का निर्णय अन्तिम होगा।

संलग्नकः यथोक्त।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

संख्या- 564 (1)/चार-2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार,लेखा व हकदारी प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।
4. निदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ
5. निदेशक,सूचना,उ0प्र0,लखनऊ।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव